मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-10

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 29, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री बृजेन्द्र लाल गुप्ता, श्री लाल कमलेश्वर सिंह, तथा श्री रेवतीरमण मिश्र के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

विधि और विधायी कार्य मंत्री श्री बाबूलाल गौर, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्य श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, श्री रमाकांत तिवारी, श्री हमीद काजी ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोकसंतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.48 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.54 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव अनुसार माननीय नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर तथा विभिन्न विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा को देखते हुए जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल के सदस्यों हेतु आज जो मतदान होना था, वह स्थगित किया जाता है।

विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों एवं बजट के स्वीकृति होने तथा मंत्री महोदय की ओर से प्रस्ताव आने के बाद निर्वाचन संबंधी कार्यवाही पुन: की जायेगी।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 50 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 56 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. स्वागत

श्री नितिश भारद्वाज, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया।

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री हरवंश सिंह, सदस्य ने जिला छिन्दवाड़ा के अनेक ग्रामों में सूखे की स्थिति निर्मित होने,

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने एकीकृत आदिवासी परियोजना के अन्तर्गत पिपराही हाईस्कूल एवं अन्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव होने,

(3) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने सतना के ग्राम हिनौती के पंडितान टोला में लोगों के निस्तार का रास्ता बंद होने,

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले में स्टाम्प पेपर की कमी होने,

(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने जिला श्योपुर की विजयपुर तहसील में भूमि का मुआवजा देने में अनियमितताएं किये जाने, तथा

(6) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बैतूल जिले के ग्राम घोरपड़माल में अतिक्रमण हटाते समय पुलिस द्वारा ग्राम वासियों के साथ मारपीट किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा-80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.ए-13-22-89-विक-पांच (11) दिनांक 7 जुलाई, 2004 पटल पर रखी।

7. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री के.पी. सिंह, ठा. सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य ने भिण्ड जिले के लहार स्थित न्यायालय परिसर में एक अधिवक्ता पर प्राण घातक हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(2) श्री प्रियव्रत सिंह, श्री निशिथ पटेल, सदस्य ने राजगढ़ जिले में पचोर माचलपुर मार्ग का निर्माण कार्य अपूर्ण रहने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम पांजरा में हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल का भवन बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम कुरचाढ़ाना में प्राथमिक शाला खोले जाने,

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के -

(क) नागदा नगर में चम्बल नदी पर पुल बनाये जाने,

(ख) ग्राम बनबना में ग्रिड लगाये जाने,

(ग) ग्राम चापाखेड़ा में हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(घ) नागदा शहर के प्रकाश नगर में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के -

(क) ग्राम मऊखेड़ा को सड़क मार्ग से जोड़े जाने, तथा

(ख) ग्राम भैसरोली स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, एवं

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य ने पन्ना जिले के ग्राम दनवारा स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की।

9. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(6) डॉ. गोविन्द सिंह

(7) श्री बृजेन्द्र तिवारी

(8) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

सभापति महोदय (श्री हिम्मत कोठारी) पीठासीन हुए.

(9) डॉ. सुनीलम्

(10) श्री गजराज सिंह सिकरवार

(11) श्री प्रदीप जायसवाल
(12) श्री बाबूलाल महाजन
(13) श्री सत्यदेव कटारे
(14) श्री धरमू राय
(15) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(16) श्री शंकरलाल तिवारी
(17) श्री आरिफ अकील

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(18) श्री गोविन्द सिंह पटेल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -07	वाणिज्यिक कर के लिए दौ सौ बारह करोड़, छप्पन लाख, इकतीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -11	वाणिज्य एवं उद्योग के लिए उनतीस करोड़, इक्यानवे लाख, इक्यासी हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 7	1,3
मांग संख्या - 11	1,2,3,4,6,8,10

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(4) श्री रामलखन शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(5) बाबूलाल महाजन
(6) श्री राजेश यादव
(7) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(8) श्री बृजेन्द्र तिवारी
(9) श्री रामनिवास रावत
(10) श्री पारस जैन
(11) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़
(12) डॉ. सुनीलम्
(13) श्री प्रियव्रत सिंह
(14) श्री नानालाल पाटीदार

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -06	वित्त के लिए एक हजार पचहत्तर करोड़, सोलह लाख, तीन हजार रूपये,
अनुदान संख्या -31	योजना आर्थिक और सांख्यिकी के लिए सत्रह करोड़, पच्चीस लाख, उन्नीस हजार रूपये,

अनुदान संख्या -38	रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए एक लाख, उनचास हजार रूपये,
अनुदान संख्या -60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए पचास करोड़, सत्ताईस लाख, अठारह हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -74	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दो करोड़, इक्यानवे लाख, सड़सठ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 6	1
मांग संख्या - 31	2
मांग संख्या - 74	1

मांग संख्या 6,31,38,60 एवं 74 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव और मांगों के प्रस्ताव पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -10	वन के लिए दो सौ सड़सठ करोड़, छियानवे लाख, चौतीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -36	परिवहन के लिए छब्बीस करोड़, सतासी लाख, सड़सठ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 10	2,6
मांग संख्या - 36	2

(चर्चा अपूर्ण)

6.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 30, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.